राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 316/2022

1. यादराम पुत्र लीलाधर उम्र ..... वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......प्रार्थी

<u>ब–ना–म</u>

1. दलीप पुत्र नाराणाराम
2. विमला पत्नी स्व. नाराणाराम
3. माया पुत्री नाराणाराम
4. लोकेश पुत्री नाराणाराम
   1 लगायत 4 समस्त जाति मेघवाल निवासी ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत दिलाये जाने रास्ता</u>

<u>अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

:: निर्णय :: **दिनांक 22–11–2022**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या नया 652 में दर्ज खसरा नंबर 2709/1761 रकबा 0.11 है. भूमि में प्रार्थी हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी वर्तमान में मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी अंतिम चौसाला संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या नया 308 में दर्ज खसरा नंबर 2698/1127 रकबा 0.32 है. भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण वर्तमान में मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी के खेत ग्राम बड़ाऊ स्थित खसरा नंबर 2709/1761 रकबा 0.11 है. भूमि में जाने के लिए रसूलपुर से नंगली सलेदीसिंह जाने वाली मुख्य सड़क से पूर्वी दिशा में फटकर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2698/1127 रकबा 0.32 है. की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नंबर 2709/1761 रकबा 0.11 है. तक जाने के लिए 4 मीटर चौडा रास्ता चालू है उसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है और इधर से ही प्रार्थी अपने खेत में साधन लाता व ले जाता है [illegible] पास अपने खेत खसरा नंबर 2709/1761 रकबा 0.11 है. में साधन लाने [illegible] व आने जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्णित रास्ते [illegible] स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी का यह रास्ता कदीम से प्रार्थी के आवागमन [illegible] के रूप में काम [illegible] रहा है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख[illegible] नंबर 2709/1761 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

0.11 है. तक पहुंचने के लिए मौजूद है जो सबसे छोटा व रसूलपुर से नंगली सलेदीसिंह जाने वाली मुख्य सड़क से सबसे कम दूरी का है, इसके अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत ग्राम बड़ाऊ स्थित खसरा नंबर 2709/1761 रकबा 0.11 है. भूमि में जाने के लिए रसूलपुर से नंगली सलेदीसिंह जाने वाली मुख्य सड़क से पूर्वी दिशा में फटकर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2698/1127 रकबा 0.32 है. की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे प्रार्थी कृषि भूमि खसरा नंबर 2709/1761 रकबा 0.11 है. तक जाने के लिए 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमीम किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 4 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 5 तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/1543 दिनांक 17.10.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की है कि :–

1. आवेदक अपनी खातेदारी खसरा नंबर 2709/2761 रकबा 0.11 है. जो क्रय शुदा है। उक्त भूमि में आवासीय मकान बनाकर रहवास कर रहा है जिससे आवेदक को आने जाने हेतु रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है।
2. प्रस्तावित रास्ता रसूलपुर–बड़ाऊ–नंगली–चारावास–चनाना मुख्य सड़क से पूर्व में स्थित वादी की भूमि तक चाहा गया है। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 4 तक की खातेदारी के खेत ख.नं. 2698/1127 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे मौके पर बनी है तथा मौके पर चालू है परन्तु राजस्व रिकार्ड में कटान शुदा नहीं है तथा सड़क के पूर्व वादी की भूमि के बीच कुछ भूमि पतली पट्टी बची है जिसमें से रास्ता चाहा है जो मुताबिक इण्डियन रोड़ कांग्रेस संविधान के सड़क सीमा में आती है तथा वादी के दक्षिण दिशा के चिपते खातेदार द्वारा वक्त रूपान्तरण अपनी खातेदारी भूमि सड़क सीमा की राजहक में समर्पण किये जाने पर जो सड़क अथवा रास्ते हेतु है राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे रास्ता का उपयोग में अथवा आना जाना हो सकता है।
3. प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार कायम होता है तो निकटतम दूरी का होगा परन्तु उक्त रास्ता वादी द्वारा चाहे जाने अनुसार 4 मीटर चौड़ाई व 5 मीटर लम्बा होगा अर्थात् 4x5 = 20 वर्गमीटर का होगा जो छोटी इकाई होने से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद बट्टा खसरा नंबर डालने व तरमीम करने में समस्या आ सकती है।
4. प्रस्तावित रास्ते में 4x5 = 20 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादीगण की जायेगी जिसकी डी.एल.सी. दर राशि 2540/–रू. बनती है जिसकी दुगुनी राशि 5080/– रूपये है।

तहसीलदार, खेतड़ी ने उक्त पत्र [illegible] वृत नंगली सलेदीसिंह व पटवारी हल्का बड़ाऊ की संयुक्त मूल मौका रिपोर्ट संलग्न कर भिजवायी है जो शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, नकल जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता सं. 622, खाता सं. 308 ग्राम बड़ाऊ पेश किये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत नंगली सलेदीसिंह का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.10.2022 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक नंगली सलेदीसिंह में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को खसरा नंबर 2709/1761 ग्राम बड़ाऊ में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 2698/1127 ग्राम बड़ाऊ में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 2709/1761 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 17–10–2022 के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 2709/1761 रकबा 0.11 है. में जाने के लिए रसूलपुर से नंगली सलेदीसिंह जाने वाली मुख्य सड़क से पूर्वी दिशा में फटकर अप्रार्थी सं. 1 लगा. 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2698/1127 रकबा 0.32 है. की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे भूमि खसरा नंबर 2709/1761 रकबा 0.11 है. तक 4 मीटर चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में अप्रार्थी सं. 1 से 4 की खातेदारी भूमि ख.नं. 2698/1127 रकबा 0.32 है. मे सें 4x5=20 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु निर्वापित की जानी है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 20 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि 5080/–रू. (अक्षरे पांच हजार अस्सी रूपये) प्रार्थी तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेगा। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 2698/1127 के खातेदारों/अप्रार्थीगण को प्रतिकार की राशि रू. 5080/– नियमानुसार अदा करेंगें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 2698/1127 के रकबे में से रास्ते की बाबत 20 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 22–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.28 11:03:47 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner